कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /बैठक/2023 / 2106 दिनांकः– 14 मार्च, 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति बैठक श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष, भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की अध्यक्षता में दिनांक 13 मार्च 2023 को सांय 04:00 बजे अयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्य /अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट –1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेघवालो की ढाणी हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेघवालो की ढाणी हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालो की ढाणी प्रयोजनार्थ 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है तथा मौके पर विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भूउपयोग टूरिज्म सिटी प्रयोजनार्थ आरक्षित है व डीसीआर अनुसार गर्वरमेंट यूज को on all roads after approval comptent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 से संबंधित कोई वाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 कुल रकबा 3000 वर्गमीटर भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 14/12/2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर एवं अन्य स्थानो पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम बडली खसरा संख्या 88 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेघवालो की ढाणी हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेघवालो की ढाणी हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसका मार्गाधिकार 80 फुट सड़क पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 2 :: ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 में आंगनबाडी भवन केंद्र हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 में आंगनबाडी भवन केंद्र हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 किस्म गै.मु.ठरडा में आंगनबाडी भवन केंद्र प्रयोजनार्थ 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 रकबा 16.5192 हेक्टेयर किस्म गै. मु. ठरडा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। डीसीआर अनुसार Public Utilities को permisseble on all road after approval from competent authority का उल्लेख है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 कुल रकबा 3000 वर्गमीटर भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 20/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः ग्राम चैनसिंह बालरवा खसरा संख्या 1/44 में आंगनबाडी केंद्र भवन हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 में आंगनबाडी भवन केंद्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसका मार्गाधिकार 60 फुट सड़क पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 3 :: **ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 में सार्वजनिक विश्राम स्थल हेतु रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 में सार्वजनिक विश्राम स्थल निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बालरवा, पं.स. तिंवरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरुप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम जुगत सिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 किस्म गै.मु.गोचर में सार्वजनिक विश्राम स्थल प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 संलग्न प्रमाणित राजस्व जमाबंदी अनुसार रकबा 62.7828 हेक्टेयर किस्म गै. मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। डीसीआर अनुसार सार्वजनिक विश्राम स्थल का पृथक से उल्लेख नही है किन्तु Public Utilities को permisseble on all road after approval from competent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 कुल रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 31/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा खसरा संख्या 155 में सार्वजनिक विश्राम स्थल हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 में धर्मशाला (सार्वजनिक विश्राम स्थल) निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसका मार्गाधिकार 60 फुट सड़क पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 4 :: ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 में सार्वजनिक वाचनालय निर्माण हेतु रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 में सार्वजनिक वाचनालय निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बालरवा, पं.स. तिंवरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम जुगत सिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 किस्म गै.मु.गोचर में सार्वजनिक वाचनालय निर्माण प्रयोजनार्थ 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 संलग्न प्रमाणित राजस्व जमाबंदी अनुसार रकबा 62.7828 हेक्टेयर किस्म गै. मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। डीसीआर अनुसार सार्वजनिक विश्राम स्थल का पृथक से उल्लेख नही है किन्तु Public Utilities को permisseble on all road after approval from competent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 कुल रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 31/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा खसरा संख्या 155 में सार्वजनिक वाचनालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 में सार्वजनिक वाचनालय निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसका मार्गाधिकार 60 फुट सड़क पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 5 :: ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 में ग्राम पंचायत के कार्यालय हेतु भवन निर्माण हेतु रकबा 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 में ग्राम पंचायत के कार्यालय हेतु भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बालरवा, पं.स. तिंवरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम जुगत सिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 किस्म गै.मु.मगरा में ग्राम पंचायत के कार्यालय हेतु भवन निर्माण प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 संलग्न प्रमाणित राजस्व जमाबंदी अनुसार रकबा 05.5847 हेक्टेयर किस्म गै. मु. मगरा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है व पीडब्ल्युडी से प्राप्त डाटा अनुसार उक्त भूमि UR[Village Road] पर स्थित है। डीसीआर अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में Govt. use का पृथक से उल्लेख नही है किन्तु Public Utilities को permisseble on all road after approval from competent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 कुल रकबा 500 वर्गमीटर भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 31/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा अन्य ग्राम/ग्राम पंचायत कार्यालय प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा खसरा संख्या 120/2 में ग्राम पंचायत के कार्यालय भवन हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में ग्राम पंचायत बालरवा द्वारा पंचायत मुख्यालय से भिन्न स्थान पर भूमि आवंटन की मांग करने के कारण प्रकरण निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ग्राम हरियाणा कोनरी के खसरा संख्या 442 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम हरियाणा कोनरी के खसरा संख्या 442 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम हरियाणा कोनरी के खसरा संख्या 442 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 4500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम हरियाणा कोनरी के खसरा संख्या 442 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 8. 4336 हेक्टेयर यानि 52–02 बीघा उक्त खसरा राजस्व जमाबन्दी अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व में दर्ज है तथा उक्त भूमि मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 442 ग्राम हरियाणा कोनरी का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित हैं। पटवारी द्वारा बताई गई लोकेशन अनुसार VR[Village Road] स्थित है। डीसीआर अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में उपस्वास्थ्य केंद्र का पृथक से उल्लेख नही है किन्तु Public Utilities को permisseble on all road after approval from competent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम हरियाणा कोनरी के खसरा संख्या 442 की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 20/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम हरियाणा कोनरी के खसरा संख्या 442 किस्म गै.मु. गोचर में से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेष है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम हरियाणा कोनरी के खसरा संख्या 442 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसका मार्गाधिकार 60 फुट सड़क पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 7 :: ग्राम तोलेसर पुरोहितान के खसरा संख्या 217 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम तोलेसर पुरोहितान के खसरा संख्या 217 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम तोलेसर पुरोहितान के खसरा संख्या 217 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 4500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम तोलेसर पुरोहितान के खसरा संख्या 217 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 1.0603 हेक्टेयर यानि 6–11 बीघा उक्त खसरा राजस्व जमाबन्दी अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व में दर्ज है। मौके पर भवन निर्माण हो रखा है एवं कटाणी रास्ता पम्मी सडक मौजूद है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम तोलेसर पुरोहितान के खसरा संख्या 217 का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित हैं। पटवारी द्वारा बताई गई लोकेशन अनुसार VR[Village Road] स्थित है। डीसीआर अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में उपस्वास्थ्य केंद्र का पृथक से उल्लेख नही है किन्तु Public Utilities को permisseble on all road after approval from competent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम तोलेसर पुरोहितान के खसरा संख्या 217 की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 20/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम तोलेसर पुरोहितान के खसरा संख्या 217 किस्म गै.मु. गोचर में से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम तोलेसर पुरोहितान के खसरा संख्या 217 किस्म गै.मु. गोचर में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसका मार्गाधिकार 60 फुट सड़क पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 8 :: ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 में पशु चिकित्सालय उपकेंद्र हेतु रकबा 929.36 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 में पशु चिकित्सालय उपकेंद्र हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 किस्म गै.मु.गोचर में पशु चिकित्सालय उपकेंद्र प्रयोजनार्थ 929.36 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 रकबा 6.3293 हेक्टर किस्म गै. मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग MDP/ZDP ग्रामीण क्षेत्र में स्थित व उक्त भूमि PWD से प्राप्त डाटा अनुसार Village road पर स्थित है। डीसीआर अनुसार पशु चिकित्सालय का पृथक से उल्लेख नही है किन्तु Public Utilities को on all roads after approved from complete authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 07/12/2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 में पशु चिकित्सालय उपकेंद्र हेतु 929.36 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम मालूंगा के खसरा संख्या 375/2 में पशु चिकित्सालय उपकेंद्र हेतु 929.36 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसका मार्गाधिकार 100 फुट सड़क पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 9 :: ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 में पेयजल हेतु भू–तल जलाशय निर्माण हेतु रकबा 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 में पेयजल हेतु भू–तल जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बालरवा, पं.स. तिंवरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम जुगत सिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 किस्म गै.मु.मगरा में पेयजल हेतु भू–तल जलाशय निर्माण प्रयोजनार्थ 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 संलग्न प्रमाणित राजस्व जमाबंदी अनुसार रकबा 05.5847 हेक्टेयर किस्म गै. मु. मगरा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। डीसीआर अनुसार सार्वजनिक विश्राम स्थल का पृथक से उल्लेख नही है किन्तु Public Utilities को permisseble on all road after approval from competent authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 कुल रकबा 500 वर्गमीटर भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 31/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा खसरा संख्या 120/2 में पेयजल हेतु भू-तल जलाशय निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 में पेयजल हेतु भू-तल जलाशय निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसका मार्गाधिकार 100 फुट सड़क पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61 राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कृष्णा कॉलोनी जोधपुर के भवन निर्माण हेतु रकबा 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61 राजीव गांधी आवासीय योजना में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कृष्णा कॉलोनी जोधपुर के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

सम्भागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' व परिशिष्ट-1 में आवेदन पेश कर ग्राम चौखा राजीव गाँधी नगर आवासीय योजना के खसरा संख्या 61 में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कृष्णा कॉलोनी जोधपुर के भवन निर्माण हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार राजीव गांधी आवासीय योजना में मुख्य सडक 48 मीटर वाईड रोड पर प्रस्तावित है उक्त सडक पर 12 मीटर वाईड सडक पर अल्पसंख्यक छात्रावास की भूमि छोडकर दिया जाना प्रस्तावित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गाँधी योजना में उक्त भूमि Institutional प्रयोजनार्थ आरक्षित है इसमें संस्कृत विद्यालय हेतु आवंटन किया जा सकता है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा खसरा संख्या 61 कुल रकबा 5000 वर्गमीटर की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 28/11/2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर एवं अन्य स्थानो पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम चौखा राजीव गांधी नगर आवासीय योजना खसरा संख्या 61 में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कृष्णा कॉलोनी जोधपुर के भवन निर्माण हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61 राजीव गांधी आवासीय योजना में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय कृष्णा कॉलोनी जोधपुर के भवन निर्माण हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61 राजीव गांधी नगर आवासीय योजना सेक्टर बी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालबेलिया कॉलोनी नयापुरा चौखा विद्यालय भवन निर्माण हेतु 4049 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61 राजीव गांधी नगर आवासीय योजना सेक्टर बी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालबेलिया कॉलोनी नयापुरा चौखा विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61 राजीव गांधी आवासीय योजना सेक्टर बी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालबेलिया कॉलोनी नयापुरा चौखा विद्यालय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ 4049 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार राजीव गांधी आवासीय योजना सेक्टर बी में स्थित है एवं भूमि मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि राजीव गांधी नगर योजना में प्राथमिक विद्यालय हेतु आरक्षित है। उक्त भूमि प्राइमरी स्कूल हेतु आवंटित की जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61&72 से संबंधित डॉ. कुमार राजीव एण्ड अन्य.वर्सेज स्टेट एण्ड अन्य का राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद एस. बी.सिविल रिट पीटिशन नं. 9023/2021 लंबित है परन्तु स्थगन नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61 कुल रकबा 4049 वर्गमीटर की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 13/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय

प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर एवं अन्य स्थानो पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम चौखा राजीव गांधी नगर आवासीय योजना सेक्टर बी खसरा संख्या 61 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालबेलिया कॉलोनी नयापुरा चौखा विद्यालय भवन निर्माण हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61 राजीव गांधी नगर आवासीय योजना सेक्टर बी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालबेलिया कॉलोनी नयापुरा चौखा विद्यालय भवन निर्माण हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 156 में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मोरियावास हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 156 में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मोरियावास हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम चौखा के खसरा संख्या 156 में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मोरियावास प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 156 रकबा 3–12 बीघा किस्म बारानी–द्वितीय जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भवन हेतु भूमि उपलब्ध है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार फेस्टिवल सिटी हेतु आरक्षित है जिसमें राजकीय विद्यालय अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 156 से संबंधित कोई वाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा मोरियावास के खसरा संख्या 156 कुल रकबा 3.12 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 14/12/2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर एवं अन्य स्थानो पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम चौखा के खसरा संख्या 156 में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 156 में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मोरियावास हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसका मार्गाधिकार 100 फुट सड़क पर से रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 826/644 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयापुरा चौखा हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम चौखा के खसरा संख्या 826/644 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयापुरा चौखा हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' व परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम चौखा के खसरा संख्या 826/644 किस्म गै. मु. पहाड में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयापुरा चौखा प्रयोजनार्थ 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 826/644 रकबा 411–17 बीघा किस्म गै. मु. पहाड जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है, में स्थित है तथा मौके पर विद्यालय भवन निर्मित है तथा विद्यालय संचालित हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार फेस्टिवल सिटी/टूरिज्म फेसिलिटी नया आंशिक आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त भूमि में राजकीय विद्यालय हेतु भूमि आवंटित की जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 826/644 से संबंधित वाद लंबित है परन्तु स्थगन नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 826/644 कुल रकबा 05 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 13/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्गमीटर एवं अन्य स्थानो पर 3000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः ग्राम चौखा खसरा संख्या 826/644 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयापुरा चौखा हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 826/644 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयापुरा चौखा हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर सी में मिरासी एवं भिस्ती समाज के छात्रावास हेतु भूमि आवंटन बाबत।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घाषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर सी में मिरासी एवं भिस्ती समाज हेतु छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर सी में मिरासी एवं भिस्ती समाज के छात्रावास प्रयोजनार्थ 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

कनिष्ठ अभियता की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना चौखा मै सेक्टर बी एवं सेक्टर सी में कमंश Rescrved land एवं informal area दिखाया गया है मौका खाली है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना में भूमि Rescrved land में छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजीव गॉधी नगर योजना के खसरा संख्या 61–72 से संबंधित वाद लंबित है परन्तु स्थगन नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 61–72 राजीव गॉधी नगर योजना के सेक्टर बी एवं सी में रिक्त भूखण्डों की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 27/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

पूर्व में प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष दिनांक 11.02.2023 को रखा गया था जिसमें त्रुटिवंश छात्रावास के स्थान पर हाफ वे होम अंकित हो गया परन्तु वास्तव में मिरासी एवं भिस्ती समाज के छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की मांग की थी।

अतः मिरासी एवं भिस्ती समाज के छात्रावास हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु निर्णय में संशोधन हेतु प्रकरण पुनः भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति दिनांक 11.02.2023 के निर्णय में संशोधन करते हुए राजीव गॉधी नगर आवासीय योजना सेक्टर सी में मिरासी एवं भिस्ती समाज के छात्रावास हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: ग्राम बुझावड खसरा संख्या 432/38 में 29–05 बीघा भूमि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी को शैक्षणिक गतिविधियाँ हेतु सशुल्क भूमि आवंटन करने बाबत्।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बुझावड खसरा संख्या 432/38 में 29–05 बीघा भूमि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी को शैक्षणिक गतिविधियाँ हेतु सशुल्क भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है।

चेयरपर्सन, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–अ' परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड खसरा संख्या 432/38 में 29 बीघा भूमि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी को शैक्षणिक गतिविधियाँ हेतु सशुल्क भूमि आवंटन आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 432/38 ग्राम बुझावड 29–05 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग एमडीपी/जेडडीपी अनुसार यू–2 में आरक्षित है साथ ही पास से 60 मीटर प्रस्तावित सडक गुजर रही है। यू–2 की डीसीआर अनुसार यू–2 लैण्ड यूज में 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर Educational institutions {universities, colleges, integrated residential school with hostel facilities} अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 432/38 की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड़ के खसरा सख्ंया 432/38 कुल रकबा 29 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 03.06.2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। व्यक्तिगत शोकत मोहम्मद ढेकेदार कार्यारत कार्याकारीणी सदस्य ने दिनांक 17.06.2022 को प्राधिकरण में आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसके संबंध में प्राधिकरण पत्र दिनांक 10.10.2022 तथा स्मरण पत्र दिनांक 21.11.2022 को प्रार्थी को आपत्ति का जवाब प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा गया जिसके संबंध में आपत्तिकर्ता द्वारा कोई लिखित में जवाब समयावधि में प्रस्तुत नही किया गया है। आपत्ति का निस्तारण किया गया।

अतः ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 432/38 किस्म बारानी–चतुर्थ में से मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी को शैक्षणिक गतिविधियाँ हेतु 29–05 बीघा भूमि सशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर को पूर्व में भी भूमि आवंटित की गई है। अब उसी भूमि से लगती हुई भूमि चाही गई है। द्वितीय आवंटन होने से आवंटन सशुल्क होगा। पूर्व में आंवटित भूमि पर भवन निर्माण होकर भूमि को काम में लिया जा रहा है। अतः ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 432/38 में 29–05 बीघा भूमि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी को शैक्षणिक गतिविधियों हेतु विकसित भूमि की दर पर आवंटित करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: आवेदक प्रेमाराम पुत्र श्री अर्जुनराम द्वारा ग्राम बडली के खसरा संख्या 3/7 पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ नियमन हेतु आवेदन पर पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

क. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गयाहै।	आवेदक प्रेमाराम पुत्र श्री अर्जुनराम द्वारा ग्रामबडली के खसरा संख्या 3/7 पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ नियमन हेतु आवेदन पर पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने की अभिशंषा की गई है।

प्रकरण में आवेदक श्री प्रेमाराम पुत्र अर्जुनराम भील द्वारा राजस्व ग्राम बडली के खसरा संख्या 3/7 रकबा 2193 वर्गमीटर का पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किया गया। पटवारी/अमीन की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरे की भूमि एवं मुख्य मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग) के मध्य प्राधिकरण स्वामित्व की खसरा संख्या 05 ग्राम बडली की भूमि स्थित है। उक्त भूमि में से खसरा संख्या 3/7 तक पहुँच मार्ग हेतु रकबा 150.70 वर्गमीटर (आने–जाने) उपलब्ध करवाये जाने हेतु आवेदक द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27/02/2021 के तहत मांग की है।

प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि की कीमत राशि डी.एल.सी दर अनुसार राशि 104590/-- रूपयेंजरिये चालान जेआरएन नम्बर 3854 दिनांक 06/10/2021 द्वारा जमा करवाई जा चूकी है।

ले–आउटप्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 02/11/2022 के निर्णय के अनुसरण में प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक दिनांक 23/01/2023 के प्रस्ताव संख्या 03 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण में सार्वजनिक विज्ञप्ति आपत्ति एवं सूझाव हेत ुसमाचार पत्र दैनिक नवज्योति के प्रकाशन दिनांक 14/02/20023 मेंकरवाई जा चूकी है। 90–क शाखा जोन–5 मेंदिनांक 10/03/2023 तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति/सूझाव पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध नही है तथा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण के स्वामित्व की त्रिभुजाकार आकृति में भूमि (क्षैत्रफल 150.70 वर्गमीटर) का भू–उपयोग वृक्षारोपण नही होने एंव उक्त भूमि का स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में उपयोग में नही लिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से ग्राम बडली के खसरा संख्या 3/7 में आवेदक प्रेमाराम पुत्र श्री अर्जुनराम को 150.70 वर्गमीटर भूमि नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प. 1(15) नविवि/जयपुर/2021 दिनांक 27.09.2021 में वर्णित शर्तो की पालना करते हुए पेट्रोल पम्प हेतु पहुँच मार्ग/ग्रीन बफर के रूप में अनुमत किये जाने का निर्णय लिया गया। इस भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का ही रहेगा। उक्त भूमि हेतु उक्त परिपत्र दिनांक 27.09.2021 के अनुसार निर्धारित राशि प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: आवेदक श्रीमती डीम्पल गहलोत पत्नी श्री त्रिलोक टाक व श्री त्रिलोक टाक पुत्र श्री गणपत सिंह माली द्वारा ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 240/3, 240/4 का औधोगिक प्रयोजनार्थ का रकबा 02-09-04 बीघा नियमन हेतु आवेदन पर रास्ते हेतु भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में।

क. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	आवेदक श्रीमती डीम्पल गहलोत पत्नी श्री त्रिलोक टाक व श्री त्रिलोक टाक पुत्र श्री गणपत सिंह माली द्वारा ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 240/3, 240/4 का औधोगिक प्रयोजनार्थ का रकबा 02-09-04 बीघा नियमन हेतु आवेदन पर रास्ते हेतु भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

आवेदक आवेदक श्रीमती डीम्पल गहलोत पत्नी श्री त्रिलोक टाक व श्री त्रिलोक टाक पुत्र श्री गणपत सिंह माली द्वारा ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 240/3 व 240/4 का औधोगिक प्रयोजनार्थ का रकबा 02-09-04 बीघा नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित शाखाओं रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 240/3 व 240/4 में आवेदित भूमि व सडक के मध्य खसरा संख्या 258 प्राधिकरण की स्वामित्व की भूमि है। आवेदक द्वारा खसरा संख्या 258 जोकि प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि का रकबा 221.64 वर्गमीटर का रास्ते हेतु आवंटन करने का निवेदन है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02/02/2023 को राजस्थान पत्रिका में आपत्ति आमंत्रण सूचना का भी प्रकाशन करवाया गया। जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति एवं ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्रकरण में प्रार्थी को 221.64 वर्गमीटर भूमि का रास्ते हेतु आवंटन वास्ते प्रकरण भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

प्रश्नगत भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित भूमि एवम् राजस्व मानचित्र अनुसार दक्षिण दिशा में कटाण मार्ग के मध्य स्थित प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि की किस्म गै.मु आगौर होने को दृष्टिगत रखते हुए बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 240/3, 240/4 में आवेदक श्रीमती डिम्पल गहलोत पत्नी श्री त्रिलोक टाक व श्री त्रिलोक टाक पुत्र श्री गणपत सिंह माली को मौका स्थिति/गुगल मानचित्र अनुसार 395 वर्गमीटर भूमि नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.1(15)नविवि/जयपुर/2021 दिनांक 27.09.2021 में वर्णित शर्तों की पालना करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु पहुंच मार्ग/रास्ते के रूप में अनुमत किये जाने का निर्णय लिया गया। इस भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का ही रहेगा। उक्त भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 27.09.2021 के अनुसार निर्धारित राशि प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: उप स्वास्थ्य केन्द्र, उजलिया हेतु ग्राम उजलिया के खसरा सं 3 मे भूमि आंवटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र, उजलिया हेतु ग्राम उजलिया के खसरा सं 3 मे से 1 बीघा भूमि आंवटन बाबत।	उप स्वास्थ्य केन्द्र, उजलिया हेतु ग्राम उजलिया के खसरा सं 3 मे से 1 बीघा भूमि आंवटन की अभिषांशा की जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के द्वारा दिनांक 20.12.2022 को प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र उजलिया हेतु राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा सं 3 में से 1 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा सं 3 रकबा 90.4624 हेक्टैयर किस्म गै.मु मंगरा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। तथा उक्त भूमि आबादी के नजदीक है एवं मौके पर रिक्त है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि एमडीपी 2031 व जेडडीपी –2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। डीसीआर रिपोर्ट अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र अनुज्ञेय है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।

उक्त प्रकरण के संबंध में प्राधिकरण की वेबसाईट पर आम सूचना 9.2.2023 को जारी की गई जिस सन्दर्भ में आदिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002/पार्ट जयपुर दिनांक 30.6.2021 के बिन्दू सं 9.3 के अनुसार उप स्वास्थ्य भवन हेतु 500 व.मी भूमि निःशुल्क आवंटन के अधिकार स्थानीय स्तर पर उक्त सीमा से अधिक आवंटन स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य टिप्पणी राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

अतः उप स्वास्थ्य केन्द्र उजिलया हेतु राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 3 किस्म गै.मु मंगरा रकबा 90.4624 हेक्टैयर भूमि में से उपरोक्त प्रावधानुसार 500 व.मी. भूमि एवं आवेंदन अनुसार 1 बीघा भूमि राजस्थान भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र, उजलिया हेतु ग्राम उजलिया के खसरा सं 3 मे 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। न्यूनतम 60 फुट मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन स्तर पर करने के बाद ही आवंटन किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 19 :: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दईजर हेतु राजस्व ग्राम दईजर के खसरा सं 105 मे भूमि आंवटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दईजर हेतु राजस्व ग्राम दईजर के खसरा सं 105 मे भूमि आंवटन बाबत।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दईजर हेतु राजस्व ग्राम दईजर के खसरा सं 105 मे भूमि की अभिषांशा की जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के द्वारा दिनांक 20.12.2022 को प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दईजर हेतु राजस्व ग्राम दईजर (मण्डोर) के खसरा सं 105 मे निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम दईजर मण्डोर के खसरा सं 105 किस्म गै.मु मगरा कुल रकबा 70.70 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं कुछ जगह बबूल की झाड़िया व पत्थर डाले हुए हैं।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार एमडीपी–2031 व जेडडीपी–2031 में उक्त भूमि आंशिक यू 2 व आंशिक यू 1 में स्थित है जिसमें डीसीआर रिपार्ट अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनुज्ञेय है। उक्त प्रकरण के संबंध में प्राधिकरण की वेबसाईट पर आम सूचना 9.2.2023 को जारी की गई जिस सन्दर्भ में आदिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002/पार्ट जयपुर दिनांक 30.6.2021 के बिन्दू सं 9.3 के अनुसार प्रथामिक स्वास्थ्य भवन हेतु 4000 व.मी भूमि निःशुल्क आवंटन के अधिकार स्थानीय स्तर पर उक्त सीमा से अधिक आवंटन स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य टिप्पणी राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दईजर हेतु राजस्व ग्राम दईजर के खसरा सं 105 मे उपरोक्त प्रावधानुसार 4000 व.मी. भूमि एवं आवेंदन अनुसार 5 बीघा भूमि राजस्थान भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दईजर हेतु राजस्व ग्राम दईजर के खसरा सं 105 मे 4000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। न्यूनतम 60 फुट मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन स्तर पर करने के बाद ही आवंटन किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 20 :: उप स्वास्थ्य केन्द देसुरिया विश्नोईयान हेतु राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा सं 30 मे निःशुल्क भूमि आंवटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	उप स्वास्थ्य केन्द देसुरिया विश्नोईयान हेतु राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा सं 30 मे निःशुल्क भूमि आंवटन बाबत।	उप स्वास्थ्य केन्द देसुरिया विश्नोईयान हेतु राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा सं 30 मे निःशुल्क भूमि आंवटन की अभिषांशा की जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के द्वारा दिनांक 20.12.2022 को प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र देसुरिया विश्नोईयान हेतु राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा संख्या 30 मे से 1 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा सं 30 कुल रकबा 9.03 बीघा किस्म गै.मु लाटा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। विभाग द्वारा जो भूमि चाही गई है व स्कूल की चारीदिवारी में स्थित है। क्याकि इसी खसरे मे पूर्व में स्कूल हेतु शिक्षा विभाग को 5 बीघा

भूमि दी गई थी जो खसरा सं 30/1 गै.मु स्कूल के नाम दर्ज है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा 1 बीघा भूमि चाही गई जो मौके पर उपलब्ध है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार एमडीपी–2031 व जेडडीपी–2031 में उक्त भूमि आवासीय उपयोग में स्थित जिसमें डीसीआर रिपोर्ट अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र अनुज्ञेय है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण की वेबसाईट पर आम सूचना 13.2.2023 को जारी की गई जो आदिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002/पार्ट जयपुर दिनांक 30.6.2021 के बिन्दू सं 9.3 के अनुसार उप स्वास्थ्य भवन हेतु 500 व.मी भूमि निःशुल्क आवंटन के अधिकार स्थानीय स्तर पर उक्त सीमा से अधिक आवंटन स्थिति मे प्रस्ताव मय औचित्य टिप्पणी राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

उप स्वास्थ्य केन्द्र देसुरिया विश्नोईयान हेतु राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा संख्या 30 कुल रकबा 9.03 बीघा किस्म गै.मु लाटा मे से उपरोक्त प्रावधानुसार 500 व.मी. भूमि एवं आवेंदन अनुसार 1 बीघा भूमि राजस्थान भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार उप स्वास्थ्य केन्द देसुरिया विश्नोईयान हेतु राजस्व ग्राम देसुरिया विश्नोईयान के खसरा सं 30 में 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। न्यूनतम 60 फुट मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन स्तर पर करने के बाद ही आवंटन किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 21 :: उप स्वास्थ्य केन्द्र गुजरावास हेतु राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा सं 132 मे भूमि आंवटन बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र गुजरावास हेतु राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा सं 132 मे भूमि आंवटन बाबत।	उप स्वास्थ्य केन्द्र गुजरावास हेतु राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा सं 132 मे भूमि आंवटन की अभिषांशा की जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के द्वारा दिनांक 9.2.2023 को प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र गुजरावास हेतु राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 132 मे 1 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु आवेंदन किया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम गुजरावास में खसरा सं 132 व 132/2 कुल रकबा 20. बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु बारानी द्वितीय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। इसी खसरे में सामुदायिक भवन, स्कूल भूमि भी है। जिसकी पृथक से तरमीम नही हैं। लेकिन उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1 बीघा भूमि उपलब्ध हैं।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार एमडीपी–2031 व जेडडीपी–2031 में उक्त भूमि मास्टर प्लान में आवासीय उपयोग में स्थित है। जिसमें डीसीआर रिपोर्ट अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।
उक्त प्रकरण में प्राधिकरण की वेबसाईट पर आम सूचना 13.2.2023 को जारी की गई जो आदिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002/पार्ट जयपुर दिनांक 30.6.2021 के बिन्दू सं 9.3 के अनुसार उप स्वास्थ्य भवन हेतु 500 व.मी भूमि निःशुल्क आवंटन के अधिकार स्थानीय स्तर पर उक्त सीमा से अधिक आवंटन स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य टिप्पणी राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

राजस्व ग्राम गुजरावास में खसरा सं 132 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु बारानी द्वितीय मे से उपरोक्त प्रावधानुसार 500 व.मी. भूमि एवं आवेंदन अनुसार 1 बीघा भूमि राजस्थान भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र गुजरावास हेतु राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा सं 132 में 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। न्युनतम 60 फुट मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन स्तर पर करने के बाद ही आवंटन किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 22 :: नव सृजित पुलिस थाना करवड के लिए राजस्व ग्राम करवड़ खसरा सं 301 में से 5 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1	नव सृजित पुलिस थाना करवड के लिए राजस्व ग्राम करवड़ खसरा सं 301 में से 5 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।	नव सृजित पुलिस थाना करवड के लिए राजस्व ग्राम करवड़ खसरा सं 301 में से 5 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर द्वारा नव सृजित पुलिस थाना करवड़ के लिए भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत आवेंदन प्रस्तुत किया था। जिसके अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए जेडीए जोधपुर द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक 303–309 दिनांक 4.2.2020 के द्वारा ग्राम मैलावास के खसरा सं 126 में 5 बीघा भूमि आंवटन की गई। पत्रावली में पैरा न. 174–176 में की गई रिपोर्ट अनुसार मौके पर वृक्षारोपण पट्टी छोडने के बाद 5 बीघा भूमि उपलब्ध नही होने के कारण कब्जा नही दिया जा सका। इसलिए पैरा न 178–180 पर राजस्व ग्राम करवड़ के खसरा सं 301 में किस्म गै.मु पहाड़ रकबा 737 बीघा 12 बिस्वा मे से 5 बीघा भूमि जो 200 फीट रिंग रोड़ पर स्थित हैं दिया जाना प्रस्तावित की गई। जिसका मौका पटवारी के द्वारा थानाधिकारी करवड को दिखाया गया जिसके संबंध में पुलिस थानाधिकारी करवड़ के पत्र क्रमांक 420 दिनांक 10.2.023 के द्वारा अपनी सहमति देते हुए उक्त भूमि को उपयुक्त एवं पर्याप्त बताया गया।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम के खसरा सं 301 किस्म गै.मु. पहाड़ा रकबा 737 बीघा 12 बिस्वा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं तथा मौके पर भूमि रिक्त हैं।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान में मिश्रित भू–उपयोग एवं मुख्य सड़क के सहारे पलान्टेशन बैल्ट में स्थित है। अतः मुख्य सड़क के सहारे पलान्टेशन बैल्ट छोड़ते हुए शेष भूमि पुलिस थाना अनुज्ञेय हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण की वेबसाईट पर आम सूचना 13.2.2023 को जारी की गई जो आदिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002/पार्ट जयपुर दिनांक 30.6.2021 के बिन्दू सं 9.3 के अनुसार पुलिस थाना भवन हेतु 2000 व.मी भूमि निःशुल्क आवंटन के अधिकार स्थानीय स्तर पर उक्त सीमा से अधिक आवंटन स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य टिप्पणी राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

राजस्व ग्राम करवड़ के खसरा सं 301 में किस्म गै.मु पहाड़ रकबा 737 बीघा 12 बिस्वा उपरोक्त प्रावधानुसार 2000 व.मी. भूमि एवं आवेंदन अनुसार 5 बीघा भूमि राजस्थान भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार नव सृजित पुलिस थाना करवड के लिए राजस्व ग्राम करवड़ खसरा सं 301 में 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। न्युनतम 60 फुट मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन स्तर पर करने के बाद ही आवंटन किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 23 :: सुशांत लोक कॉलोनी में जी.एस.एस. हेतु आरक्षित भूमि में से 33/11 के. वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ 1195 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में।

सहायक अभियंता (बी–षष्टम) जोविविनिलि, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर सुशांत लोक कॉलोनी में जी.एस.एस. प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ 1195 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सुशान्त लोक योजना के मानचित्र में जी.एस.एस. हेतु 1195 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर्शाई गई है जो मौके पर रिक्त पाई गई।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 में मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट/पब्लिक यूटिलिटिज समस्त सड़कों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत अनुज्ञेय की गई है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 67/2 ग्राम बासनी बाघेला से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 248 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिसमें आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

प्राधिकरण की भूमि एवं सपंत्ति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 के प्रस्ताव संख्या 01 में सुशांत लोक कॉलोनी में जी.एस.एस. हेतु आरक्षित भूमि में से 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ 1195 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

जिसके संदर्भ में अधीक्षण अभियंता (नगर वृत) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर टीसीओएस–2021, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नियम संख्या 7.5(k) के अनुसार 33/11 केवी सब स्टेशन के निर्माण हेतु प्राधिकरण द्वारा विद्युत निगम को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जाती है, इस

परिपेक्ष्य में सुशांत लोक कॉलोनी में 33/11 केवी जी.एस.एस. प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की है।

पूर्व में प्राधिकरण द्वारा विवेक विहार योजना में विद्युत विभाग को 33/11 केवी सबस्टेशन प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत की गई।

भूमि आवंटन नीति–2015 की शर्त संख्या 9.3 के अनुसार राजकीय विभागों को भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा पोषित मण्डल/निगम/उपक्रम को आरक्षित दर से कम दर पर (50 प्रतिशत से कम नहीं) राशि पर आवंटन किया जा सकता है, जिसके लिये भी विभाग से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

अतः प्रकरण सुशान्त लोक कॉलोनी में जी.एस.एस. प्रयोजनार्थ आरक्षित 1195 वर्गमीटर भूमि 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ निःशुल्क/रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु पुनः प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार सुशांत लोक कॉलोनी में जी.एस.एस. हेतु आरक्षित भूमि में से 33/11 के.वी. सब स्टेशन प्रयोजनार्थ 1195 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने के संबंध में प्रकरण राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: **आवेदक श्रीमती चित्रा भार्गव पत्नी श्री विधान भार्गव द्वारा ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 335/1 वाणिज्यिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ रकबा 2.00 बीघा नियमन हेतु आवेदन करने पर प्राधिकरण के स्वामित्व के खसरा संख्या 336 में से मार्गाधिकार हेतु 95.29 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने के संबंध में।**

आवेदक श्रीमती चित्रा भार्गव पत्नी श्री विधान भार्गव द्वारा ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 335/1 वाणिज्यिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ रकबा 2.00 बीघा नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में समस्त संबंधित शाखाओं से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

पटवारी/आमीन की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 335/1 रकबा 02 बीघा में मौका अनुसार पहुंच मार्ग खसरा सख्या 336 में से चल रहा है। जमाबंदी अनुसार ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 336 रकबा 12.19 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग पत्रावली में वर्णित नजरी नक्शा अनुसार जोधपुर पाली एनएच मार्ग के दांयी दिशा में रिक्त भूमि में से मिल रहा है। उक्त रिक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। उपरोक्त मार्ग के अलावा अन्य कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदित खसरें में पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु उसके सामने अंकित खसरा सख्या 336 जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है, जो कि, कुल रकबा 12.19 बीघा में से 95.29 वर्गमीटर भूमि की नियमानुसार राशि वसूल करते हुये पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2023 का आम सूचना का प्रकाशन किया गया जिसके संबंध में आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.1(15) नविवि/जयपुर/2021 दिनांक 27.09.2021 के अनुसार भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु संबंधित खातेदार/आवेदक को आवासीय आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर जो भी अधिक हो वसूल की जाकर उपयोग हेतु निम्नलिखित शर्तो पर अनुमत करने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये :-

1. कम से कम 15 दिवस की आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी की जावें।
2. उक्त भूमि केवल रास्ता उपयोग हेतु अनुमत होगी।
3. सड़क मार्गाधिकार पर स्वामित्व विभाग/राजकीय निकाय के नाम यथावत रहेगा।
4. उक्त भूमि का भविष्य में मिलने वाला कोई भी मुआवजा प्रार्थी को देय नही होगा।

अतः प्रकरण में प्रार्थी को खसरा सख्या 336 ग्राम कुड़ी भगासतनी में से 95.29 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु आवासीय आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर जो भी अधिक हो की राशि वसूल करते हुये प्रकरण भूमि आवंटन हेतु भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध नही है तथा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने उच्च क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही है, जिसमें प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि स्थित है। उक्त विद्युत लाईन के सेफ्टी कॉरिडोर तथा उसके उपरान्त सड़क का प्रावधान किये जाने पर तथा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान अनुसार वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किये जाने पर स्वतंत्र उपयोग नही किया जा सकता है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार आवेदक श्रीमती चित्रा भार्गव पत्नी श्री विधान भार्गव को ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 335/1 वाणिज्यिक एकल भूखण्ड के पहुँच मार्ग हेतु प्राधिकरण के स्वामित्व के खसरा संख्या 336 में से मार्गाधिकार हेतु 95.29 वर्गमीटर भूमि नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.1(15) नविवि/जयपुर/2021 दिनांक 27.09.2021 में वर्णित शर्तो की पालना करते हुए वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु पहुँच मार्ग के रूप में अनुमत किये जाने का निर्णय लिया गया। इस भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का ही रहेगा। उक्त भूमि हेतु उक्त परिपत्र दिनांक 27.09.2021 के अनुसार निर्धारित राशि प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देर्शित किया गया।

14/3/23
(जय नारायण मीणा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2023/ 2107-12 दिनांक:- 14 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में बतौर सदस्य उपस्थित होने हेतु:-

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त-जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव/प्रभारी अधिकारी (भूमि)/प्रभारी अधिकारी ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ....

(जय नारायण मीणा)
सचिव

श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 13 मार्च 2023 को सांय 04:00 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

01. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उप सचिव एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक – विधि , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त जोन–4, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री श्रवण कुमार , उपायुक्त जोन–6 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्री अनुज अग्रवाल , कार्यवाहक निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
08. श्री मनोज सोंलकी उपायुक्त जोन– 2, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
09. श्री महेन्द्र सिंह पवांर, निदेशक – अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।